

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ 5(यो)(15)एसीटीएडी/माडा/275(1)करौली/2019-20/4186-98 दिनांक : 10.07.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
करौली।

विषय : संविधान की धारा अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, करौली में अध्यनरत जनजाति छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 284-93 दिनांक 06.01.2020 द्वारा राजकीय महाविद्यालय, करौली में जनजाति छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (क्षमता 100) हेतु कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड भरतपुर से तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्राप्त हुई- (राशि लाख रु. में)

Component	Amount Rs. (As per T.S.)
PART 'A' BUILDING WORKS	276.94
PART 'B' SANITARY WORKS	15.35
PART 'c' ELECTRICAL WORKS	20.97
TOTAL	313.26
Add 1.50% for work Charges and 1.00% Contingency Charges on civil work	7.83
SUB TOTAL	321.09
Add 9 % Board supervision Charges	28.90
GRAND TOTAL	349.99

ड्राईंग अनुसार छात्रावास निर्माण अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जावेंगे-

क्र.स.	तल	विवरण
1	भू-तल	वार्डन क्वार्टर, वार्डन ऑफिस आगन्तुक कक्ष, डायनिंग हॉल किचन, स्टोर, 3 बेडेड डोरमेट्रीज 5, टॉयलेट ब्लॉक-2,
	प्रथम-तल	डोरमेट्रीज (3 बेडेड) संख्या 14 एवं 2 कॉमन टॉयलेट ब्लॉक (लेट + बाथ)
	द्वितीय-तल	डोरमेट्रीज (3 बेडेड) संख्या 14 एवं 2 कॉमन टॉयलेट ब्लॉक (लेट + बाथ)

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-5 में अंकित राशि रु. 349.99 लाख (अक्षरों तीन करोड़ उनपचास लाख निन्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड, भरतपुर

(राशि लाखों में)

क्र.सं	कार्य का नाम	स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय करौली में अध्यनरत जनजाति छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण।	करौली मुख्यालय	ACE/RSAMB/25/28.01.2020 (P.N. 114)	349.99

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय निम्नानुसार करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है। (राशि लाखों में)

क्र. सं.	शासन की स्वीकृति संख्या	आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि	आर.एस.ए.एम.बी. को हस्तांतरण योग्य राशि	जनजाति कल्याण निधि मद/ 275(1) मद अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित राशि
1	72/2018-19 (धारा 275(1) मद)	189.01	189.01	

2	16/2019-20 (धारा 275(1) मद)	200.00	10.99	-
3	जनजाति कल्याण निधि मद/275 (1) मद अन्तर्गत			149.99
	योग		200.00	149.99

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे—

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।
2. छात्रावास का निर्माण का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
4. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
5. कार्य के गुणवत्तापूर्वक संपादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
6. छात्रावास निर्माण कार्य में आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य किया जावे।
7. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
आयुक्त

क्रमांक-एफ 5(यो)(15)एसीटीएडी/माडा/275(1)करौली/2019-20/1486-98 दिनांक : 10.07.2020
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) करौली।
5. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड, भरतपुर।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-72/2018-19 में से राशि रु. 189.01 लाख एवं शासन की स्वीकृति संख्या-16/2019-20 में से राशि रु. 10.99 लाख राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।
9. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ।
10. गार्ड फाईल कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त आयुक्त

1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in